मुख्यमंत्री ने सरोजनीनगर हादसे का लिया संज्ञान, अफसरों को तत्काल मौके पर भेजा

- पुलिस, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा
- सभी घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस से लोकबंधु और केजीएमयू भेजा गया
- एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरोजनीनगर में शनिवार शाम बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। सीएम योगी के निर्देश के बाद राहत विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन समेत अन्य विभागों ने मोर्चा संभाला। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को एंबुलेंस से लोकबंधु अस्पताल और केजीएमयू पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया।

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग गिरने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली। वहीं सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। इस पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को राहत कार्यों के लिए रवाना किया गया। साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और अस्पताल प्रशासन को अलर्ट किया गया। सीएम योगी के निर्देश पर मंडलायुक्त रौशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एडीएम एफआर राकेश सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान अब तक कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। सभी को एंबुलेंस से लोकबंधु अस्पताल और केजीएमयू में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में तीन मंजिला हरमिलाप बिल्डिंग में दवा का काम होता था। हादसा जिस समयहुआ, वहां पर कई कर्मचारी काम कर रह थे। एडीएम एफआर ने बताया कि राहत कार्य जारी है। ऑपरेशन के जरिये मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर एसीएस होम दीपक कुमार और एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

रक्षामंत्री ने डीएम को फोनकर ली हादसे की जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ट्रांसपोर्ट नगर में बारिश के कारण तीन मंजिला इमारत के ढहने से हुई मौत और कुछ लोगों के मलबे में दबकर घायल होने की जानकारी मिलने पर लखनऊ के सांसद एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार से फोन पर वार्ता करके हादसे की जानकारी ली और घायलों को तत्काल समुचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिये।

यह जानकारी भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने दी। इसके साथ ही भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने ट्रांसपोर्ट नगर घटनास्थल पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। उन्होंने रेस्क्यू टीम में लगे अधिकारियों से वार्ता करी कि मलबे में दबे लोगों को शीघ्र निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अस्पताल में भर्ती घायलों का भी हाल जाना और डॉक्टर टीम को समुचित इलाज कराये जाने के लिए कहा साथ ही यह आश्वस्त किया कि यदि मरीज के इलाज में खून की आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेट किया जाएगा। पीड़ित परिवारों से भेंट करके हर संभव मदद के लिए भी आश्वस्त किया।

- आवश्यकता पड़ी तो भाजपा कार्यकर्ता करेंगे ब्लड डोनेटः आनंद द्विवेदी

यूपी-112 में 'एक पहल' अभियान के अंतर्गत शुरू हुई संवाद श्रृंखला

लखनऊ। यूपी-112 ने सामुदायिक पुलिसिंग हेतु जन-जागरुकता अभियान 'एक पहल' के अंतर्गत शनिवार को 'संवाद श्रृंखला' कार्यक्रम शुरू किया। इस मौके पर राजधानी के विभिन्न स्कूल के बच्चों ने यूपी-112 की विभिन्न सेवाओं और इनका उपयोग कब और कैसे करना है के बारे में जाना। नागरिकों से सीधे जुड़ने के लिए 'संवाद श्रृंखला' कार्यक्रम को शहर से लेकर कस्बे, गांव तक यूपी-112 नागरिकों के बीच लेकर जायेगा, ताकि नागरिक बेझिझक अपने और दूसरों की मदद के लिए 112 की सेवाएं ले सकें। कार्यक्रम का आयोजन शहीदपथ स्थित यूपी-112 मुख्यालय में हुआ। एडीजी यूपी-112 श्रीमती नीरा रावत ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को दूसरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एडीजी ने बताया कि हम सब आसपास की गतिविधियों पर नजर रख न सिर्फ सजग व सतर्क नागरिक होने का परिचय देते हैं बल्कि किसी घटना या संदिग्ध की समय से सूचना देकर किसी बड़े अपराध को कारित होने से रोककर, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं।

इंडियन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) इलाहाबाद
Indian Bank (A Govt. of India Undertaking) ALLAHABAD

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)अधिनियम 2002 के नियम-8(1) के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, (धारा 54, 2002) की धारा 13 (12) प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (प्रवर्तन) की सपठित नियम 3, 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी को मांग सूचना पत्र से यहाँ विस्तृत रूप से नीचे दी गयी राशि 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋण-ग्रहिता/ जमानतकर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋण-ग्रहिता/जमानतकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। ऋण-ग्रहिता/जमानतकर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्व-साधारण को सामान्य रूप से एतद्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय **इंडियन बैंक** के अधीन रहेगा।

उधारकर्ता/जमानतकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना इस अधिग्रहण के आयोजन के सम्बन्ध में कर्जदारों, जमानतकर्ताओं और बंधककर्ताओं को बकाया जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण निम्नुसार हैं:-

क्र. सं.	ऋणी/प्रोपराइटर/जमानतकर्ता/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा की तिथि / बकाया धनराशि
शाखाः हजरतगंज शाखा			
1.	1. **मेसर्स कृष्णा विजन एनर्जी इनोवेशन एलएलपी (ऋणी/बंधककर्ता), पता-1:** एलएस-2/655, सेक्टर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ-226021 **पता-2:** इण्डस्ट्रियल प्लॉट सं. बी-23, ग्राम रायसा, यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, चरण II, संडीला, हरदोई 2. **श्री सचिन विक्रम सिंह पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह (पार्टनर/जमानतकर्ता/बंधककर्ता),** एलएस-2/655, सेक्टर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ-226021 3. **श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह (पार्टनर/जमानतकर्ता),** बी-2/111, सीतापुर रोड स्कीम, सेक्टर बी, जानकीपुरम, लखनऊ- 226021 4. **श्रीमती मंजू बाला सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह (पार्टनर/जमानतकर्ता/बंधककर्ता),** 39/1, राजापुर, इंदुआरा, बख्शी का तालाब, लखनऊ-227202 5. **श्रीमती निशा सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार (जमानतकर्ता/बंधककर्ता),** एल-1/55, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ-226024	1. फैक्टरी भूमि व भवन स्थित इण्डस्ट्रियल प्लॉट सं. बी-23, एक पार्टनर श्री सचिन विक्रम सिंह, क्षेत्रफलः 2920 वर्ग मीटर, ग्राम रायसा, यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, चरण II, संडीला, हरदोई, **चौहद्दीः पूर्वः** प्लॉट सं. सी-23, **पश्चिमः** 24 मीटर चौड़ी सड़क सं. 2, **उत्तरः** 18 मीटर चौड़ी सड़क सं. 12, **दक्षिणः** प्लॉट सं. बी-24 2. गैर कृषि रिक्त भूमि, खसरा/गाटा सं. 258 ख का भाग, मालिकः श्रीमती निशा सिंह, क्षेत्रफलः 330 वर्ग मीटर, ग्राम रामपुर देवराय, परगना महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, लखनऊ, **चौहद्दीः पूर्वः** गाटा सं. 264, **पश्चिमः** 25.00 फीट चौड़ा रास्ता (चक मार्ग), **उत्तरः** विक्रेता की भूमि, **दक्षिणः** रमेश सिंह का प्लॉट 3. गैर कृषि भूमि, खसरा/गाटा सं. 258 ख का भाग, मालिकः श्रीमती मंजू बाला सिंह, क्षेत्रफलः 330 वर्ग मीटर, ग्राम रामपुर देवराय, परगना महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, लखनऊ, **चौहद्दीः पूर्वः** गाटा सं. 264, **पश्चिमः** 25.00 फीट चौड़ा रास्ता (चक मार्ग), **उत्तरः** गाटा सं. 266, **दक्षिणः** विक्रेता की भूमि 4. गैर कृषि भूमि स्थित खसरा/गाटा संख्या 492 एवं खसरा/गाटा संख्या 493, मालिकः मेसर्स कृष्णा विजन एनर्जी इनोवेशन एलएलपी, क्षेत्रफलः 0.03 + 0.03 = 0.06 हेक्टेयर, ग्राम मिश्रीपुर, परगना महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, लखनऊ, **चौहद्दीः पूर्वः** राधेश्याम का खेत, **पश्चिमः** बाबू लाल का खेत, **उत्तरः** चक रोड, **दक्षिणः** सुंदर लाल का बाग 5. गैर कृषि भूमि स्थित खसरा/गाटा संख्या 494, मालिकः मेसर्स कृष्णा विजन एनर्जी इनोवेशन एलएलपी, क्षेत्रफलः 0.147 हेक्टेयर, ग्राम मिश्रीपुर, परगना महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, लखनऊ, **चौहद्दीः पूर्वः** पुत्ती लाल एवं अन्य का खेत, **पश्चिमः** आबादी, **उत्तरः** चक रोड, **दक्षिणः** सुंदर लाल का बाग	04.07.2024 05.09.2024 रु. 7,87,91,562.00 एवं उसपर ब्याज
शाखाः लखनऊ सिटी			
2.	1. **मेसर्स श्री कृष्ण ट्रेडर्स, कार्यालय का पताः** 332/32 घड़ियाली गली, चौक लखनऊ 2. **अमित अग्रवाल (ऋणी एवं जमानतकर्ता) पुत्र नरेश कुमार अग्रवाल, कार्यालय का पताः** 332/32 घड़ियाली गली, चौक लखनऊ **निवास का पताः** 96/188 पुराना गणेश गंज, लखनऊ 3. **अंजू अग्रवाल पत्नी अमित अग्रवाल (जमानतकर्ता), कार्यालय का पताः** 332/32 घड़ियाली गली, चौक लखनऊ **निवास का पताः** 96/188 पुराना गणेश गंज, लखनऊ	1. आवासीय भवन के सभी भाग व खण्ड, मकान सं. 408/96 स्थित चौपटिया रोड लखनऊ यूपी, विक्रय विलेख दिनांक 21.12.2011 के अनुसार बही सं. 1, जिल्द संख्या 8624 पृष्ठ संख्या 313 से 354 क्रमांक 16431, रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत, क्षेत्रफल-120.353 वर्ग मीटर, **चौहद्दीः पूर्वः** वारिसान स्व0 पंडित विश्वनाथ गौड़ का मकान एवं शिव शंकर (बबलू) का मकान, **पश्चिमः** 15 फीट चौड़ी चौपटियां रोड, **उत्तरः** गली 10 फीट चौड़ी, **दक्षिणः** वारिसान स्व0 पंडित का मकान 2. सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड, दुकान सं. एल-12 लोअर ग्राउंड फ्लोर मकान सं. 215/448 ए कला निवास का भाग, सुभाष मार्ग नाका हिंडोला, लखनऊ, क्षेत्रफल 12.509 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख के अनुसार बुक संख्या 1 8577, पृष्ठ 255 से 282, क्रमांक 5536, दिनांक 21.07.2011 को उप रजिस्ट्रार (III) लखनऊ में पंजीकृत, **चौहद्दीः पूर्वः** दुकान सं. एल-11, **पश्चिमः** दुकान सं. एल-13, **उत्तरः** कॉम्प्लेक्स 9.6 फीट का मार्ग, **दक्षिणः** दीगर की संपत्ति	18.05.2024 03.09.2024 रु. 95,68,786.00 एवं उसपर ब्याज

दिनांकः 08.09.2024 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

घटनास्थल पहुंचे सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह

- घायलों के समुचित इलाज के लिए दिखे तत्पर, घायलों के बने सहारा, निजी व्यय से परिजनों को उपलब्ध कराई आर्थिक सहायता

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्टनगर क्षेत्र में एक बिल्डिंग ढहने के कारण हुई मौतों और कई लोगों के घायल होने पर सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया। हादसे की सूचना पर तत्काल घटनास्थल पहुंचे विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैदी से तैनात हैं, राहत और बचाव के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। इस दौरान विधायक की टीम भी राहत और बचाव कार्य में सहयोग करती नजर आयी। विधायक ने बताया वे स्वयं जिला प्रशासन तथा लोकबंधु चिकित्सालय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। घायलों को सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस दौरान डॉ. सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

इसके बाद विधायक लोकबंधु चिकत्सालय भी पहुंचे जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना उन्हे सर्वोत्कृष्ट उपचार व स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाए जाने हेतु चिकित्सालय ष्टरू एवं संबंधित चिकित्सा अधिकारियों से वार्ता की एवं घायलों के परिजनों को निजी व्यय से तात्कालिक आर्थिक सहयोग राशि भी उपलब्ध कराई।

एसजीपीजीआई की एसोसिएट प्रोफेसर से ठगी के प्रकरण में दो और गिरफ्तार

- डाक्टर को हाउस अरेस्ट कर विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा दिए थे दो करोड़ रुपए, 9 लाख 91 हजार रुपए नगद हुए बरामद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीते दिनों एसजीपीजीआई के एसोसिएट प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करके लगभग दो करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दो और अभियुक्तों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों में लोकेश जैन तम्बोली मोहल्ला झलरापाटन झालावाड़, राजस्थान का मूल निवासी है। वर्तमान में वह 1285/11 मालवीय नगर, जयपुर ,राजस्थान में रह रहा था। दूसरा पवन जैन कालदी देवरा, थाना बूंदी, राजस्थान का निवासी है। दोनों के कब्जे से 991000 रुपए नगद बरामद हुए हैं।

विगत दिनों एसपीजीआई लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर के मोबाइल पर किसी अज्ञात नम्बर से काल आया। जिस पर उनके द्वारा काल रिसीव करने पर कॉलर द्वारा स्वयं को सीबीआई मुम्बई का पुलिस अधिकारी बताकर कहा गया कि मनी लाड्रिंग का केस हुआ जिसमें आपके खाते का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह बात करके उनको प्रभाव मे लेते हुए बैंक व उनकी सारी डिटेल प्राप्त कर लिया गया। जिसके उपरान्त लगभग 5 दिन से अधिक समय तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया एवं उनके खाते से लगभग 2 करोड़ से अधिक का पैसा विभिन्न खातो में ट्रान्सफर कर लिया गया। जब इनको इस बात का एहसास हुआ कि मेरे साथ ठगी की घटना हो गयी है तब इनके द्वारा थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इस प्रकरण में शामिल कुछ अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ को जानकारी मिली कि दो और अभियुक्त शालीमार वन वर्ल्ड, शहीद पथ के पास मौजूद हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों ने पछूताछ में बताया कि इन लोगों के गिरोह ने एसजीपीजीआई के एक डॉक्टर के मोबाइल नम्बर पर काल करके खुद को पुलिस/सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें डराते-धमकाते हुए उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर उनके खाते से रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। यह रुपए गैंग सदस्यों द्वारा अरेंज किए हुए अलग-अलग लोगों के खातों में ट्रांसफर कराए गए थे। अभियुक्तों द्वारा बताये गये बैंक खाते, वालेट आदि की जानकारी व गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फॉरेसिंक परीक्षण कराया जायेगा।

महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में वकीलों ने नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन

सम्पूर्ण समाधान दिवस

- मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के वकीलों ने एसडीएम और एसीपी को संयुक्त रूप से ज्ञापन देकर मांगा न्याय

संवाददाता। मोहनलालगंज

काशगंज में महिला अधिवक्ता की अपहरण कर हत्या के विरोध में शनिवार को मोहनलालगंज के वकीलों ने नारेबाजी करते हुए सम्पूर्ण समाधान दिवस पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम और एसीपी को सौंपकर मांगें पूरी कराने की मांग की। अधिवक्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच और हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। कासगंज में अधिवक्ता मोहिनी तोमर को कोर्ट के गेट से अगवा कर बेरहमी से कत्ल किए जाने के विरोध में शनिवार को मोहनलालगंज तहसील के अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांध कर विरोध जताया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशलेंद्र शुक्ल और महामंत्री रामलखन यादव की अगुवाई में नाराज अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए सम्पूर्ण समाधान दिवस पहुंच गए। अधिवक्ताओं ने पीड़ित परिवार को एक करोड़ की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नही लागू किए जाने पर भी नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने एसडीएम बृजेश कुमार वर्मा और एसीपी रजनीश वर्मा को संयुक्त रूप से ज्ञापन भी सौंपा।

ढाई साल से नहीं मिली पेंशन, एसडीएम से गुहार

गोसाईंगंज की रहीसा बानो ने जनवरी 2022 से निराश्रित महिला पेंशन नही मिलने की शिकायत दर्ज कराई। गौरा की पार्वती ने डेढ़ साल से निराश्रित महिला पेंशन नही मिलने की शिकायत की। अतरौली की शांति और कुडौली की मालती वर्मा ने भी एक वर्ष से वृद्धावस्था पेंशन नही मिलने की शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम बृजेश कुमार वर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं।

छुट्टा गोवंश से परेशान किसानों ने मांगी मदद

गोसाईंगंज के भौराखुर्द गांव में छुट्टा गोवंश किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं। फसल चौपट करने के साथ ही पालतू मवेशियों पर हमला कर उन्हें जख्मी भी कर रहे हैं। संतोष नारायण और अवध लाल समेत अन्य किसानों ने सचिव और ब्लॉक अधिकारियों पर छुट्टा गोवंश को संरक्षित कराने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर एसडीएम बृजेश कुमार वर्मा से शिकायत दर्ज कराई। एसडीएम ने बीडीओ को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

आवास के लिए किया जागरूक, बांटे पम्फलेट

मोहनलालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शनिवार को बीडीओ आशुतोष श्रीवास्तव के निर्देश पर तहसील सभागार के बाहर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई पात्रता शर्तों के बारे में जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाकर पम्फलेट वितरित किए गए। वीडीओ शुभम मिश्र ने बताया समाधान दिवस के दौरान 400 लोगों को आवास की नई पात्रता शर्तें लिखे पम्फलेट बांटकर जानकारी दी गई।

ASIAN FERTILIZERS LIMITED
Regd. office: Flat No. 202, Preet Garden, 3A/172, Azad Nagar, Kanpur, 208002
Administrative office: P.W.D. officer's colony, Near Sahara Press, Park road, Gorakhpur-273001
E-mail. investor@asianfertilizers.com, afl@asianfertilizers.com
Phone: (0551) 2203421, Website: www.asianfertilizers.com
CIN: L99999UP1986PLC007621

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & CUT OFF DATE

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 33/3030 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021 ('**MCA Circulars**') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (**'SEBI Circulars'**), permitted the holding of the AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') and Circulars issued by SEBI, the 39th AGM of the Company is being held on Monday, September 30, 2024 at 03:00 PM through VC/OAVM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 have been sent to all the members whose email IDs are registered with Company or its Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or with their respective Depository Participant in 39th AGM through the VC/OAVM facility only. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The notice of the AGM and Annual Report will also be available on the Company's website and on the website of Stock Exchange i.e. BSE limited at www.bseindia.com and also on the NSDL's website **www.evoting.nsdl.com**. The dispatch of notice of AGM through email has been completed on September 7, 2024.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2024, cast their vote on the ordinary and special Business(es) as set out in the Notice of the 39th AGM may be transacted through electronic voting system of National Services Depository Limited (NSDL) before AGM or e voting facility at the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

1. The remote e-voting shall commence on Friday, September 27, 2024 at 9:00 A.M.(IST)
2. The remote e-voting shall end on Sunday September 29, 2024 at 5:00 P.M.(IST)
3. Members may note that: **a)** the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; **b)**the facility of e voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business (es) set forth in the notice of AGM. Further members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and **c)** a person whose name is registered in the register of member or in the register of beneficial owner maintained by depositories as on the cut of date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
4. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut off date i.e. September 22, 2024, may obtain their user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or afl@asianfertilizers.com.
   However, if a person is already registered with NSDL for E-voting than existing user ID and password can be used for casting vote.
5. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430 or contact at evoting@nsdl.co.in.
6. **SEBI vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018 has mandated the submission of copy of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Therefore, members are requested to submit copy of their PAN and bank account details (original cancelled cheque leaf/ attested bank passbook showing name of account holder) to Company / RTA.**
7. **In the support of Green Initiative in Corporate Governance, members are requested to register their e-mail address(es) and changes therein from time to time, by directly sending the relevant e-mail address along with details of name, address, Folio No., shares held:**
   i) To the registrar and share transfer agent, M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd or Company for shares held in physical form /Demat;
   Upon registration of the email address (es), the Company proposes to send Notices, Annual Report and such other documents to those Members via electronic mode/e-mail.

FOR **ASIAN FERTILIZERS LIMITED**
SD/- Kunika Meghani
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gorakhpur
Date: 08/09/2024